



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022025-261285
CG-DL-E-24022025-261285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2025/फाल्गुन 5, 1946

No. 111]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2025/PHALGUNA 5, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2025

सं. 17/2025

सा.का.नि. 145(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115कघ की उपधारा (1क), धारा 115नगक की उपधारा (4), धारा 115पक की उपधारा (4) और धारा 115पख की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 12 गक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“12गक. धारा 115पक की उपधारा (4) के अधीन विवरण--(1) किसी कारबार न्यास द्वारा उसके यूनिटधारक को वितरित आय का विवरण, किसी कारबार न्यास की ओर से वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा,--

- (i) यथास्थिति, ऐसे आय-कर प्रधान आयुक्त या आय-कर आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारबार न्यास का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस पूर्ववर्ष, जिसके दौरान आय वितरित की जाती है, के पश्चात् आने वाले वित्तीय वर्ष की 15 जून तक, प्ररूप सं0 64क में, उसमें उपदर्शित रीति में किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित, तथा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से, प्रस्तुत किया जाएगा; और
- (ii) यूनिटधारक को, उस पूर्ववर्ष, जिसके दौरान आय वितरित की जाती है, के पश्चात् आने वाले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक, प्ररूप सं0 64ख में, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से उसे जनरेट और डाउनलोड करके और कारबार न्यास की ओर से आय का वितरण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),-

- (i) प्ररूप सं0 64क फाइल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई संदत्त आय के विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय या पुनः प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा; और
- (ii) उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्ररूप सं0 64ख में विवरण को जनरेट और डाउनलोड करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और वह, उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाणपत्रों को जनरेट और डाउनलोड करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।”;

(ख) नियम 12 गग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“12गग. धारा 115नगक की उपधारा (4) के अधीन विवरण--(1) किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा उसके विनिधानकर्ता को संदत्त या जमा आय का विवरण, किसी प्रतिभूतिकरण न्यास की ओर से और प्रतिभूतिकरण न्यास की आय का संदाय या जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा,--

- (i) यथास्थिति, ऐसे आय-कर प्रधान आयुक्त या आय-कर आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रतिभूतिकरण न्यास का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस पूर्ववर्ष, जिसके दौरान आय संदत्त या जमा की जाती है, के पश्चात् आने वाले वित्तीय वर्ष की 15 जून तक, प्ररूप सं0 64ड में, उसमें उपदर्शित रीति में किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित, तथा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से, प्रस्तुत किया जाएगा ; और

- (ii) विनिधानकर्ता को, उस पूर्ववर्ष, जिसके दौरान आय वितरित की जाती है, के पश्चात् आने वाले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक, प्ररूप सं0 64च में, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से उसे जनरेट और डाउनलोड करके और कारबार न्यास की ओर से आय का वितरण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),-

- (i) प्ररूप सं0 64ड फाइल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई संदत्त आय के विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय या पुनः प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा; और
- (ii) उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्ररूप सं0 64च में विवरण को जनरेट और डाउनलोड करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और वह, उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाणपत्रों को जनरेट और डाउनलोड करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।”;

(ग) परिशिष्ट 2 में,--

I. प्ररूप सं0 10झज में,--

(i) क्रम सं0 8 में, “@10%” अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं0 9 में, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “और जो (धारा 112क से भिन्न) @10% की दर से प्रभार्य है” के स्थान पर, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “(धारा 112क से भिन्न)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iii) क्रम सं0 10 में, “@15%” अंकों का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपाबंध 1 में,--

(अ) भाग ए1 में, “@10% की दर से” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(आ) भाग ए2 में, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “और जो (धारा 112क से भिन्न) @10% की दर से प्रभार्य है” के स्थान पर, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “(धारा 112क से भिन्न)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(इ) भाग ए3 में, “@15% की दर से” अंकों का लोप किया जाएगा ;

II. प्ररूप सं0 64क, प्ररूप सं0 64ख, प्ररूप सं0 64ग, प्ररूप सं0 64घ, प्ररूप सं0 64ड और प्ररूप सं0 64च के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप सं0 64क**[नियम 12गक (1)(i) देखिए]****[ई-प्ररूप]****आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पक के अधीन किसी कारबार न्यास द्वारा दिया जाने वाला वितरित आय का विवरण**

1. कारबार न्यास का नाम
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष
5. कारबार न्यास के न्यासियों के नाम और उनका पता
6. कारबार न्यास के भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की तारीख
 - (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भूसंपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन
 - (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन
7. क्या पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय कारबार न्यास की यूनिटें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं हां/नहीं
8. कारबार न्यास की सभी स्रोतों से कुल आय (9+11+13+15+17)
9. धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज से आय
10. 9 का 8 से अनुपात
11. धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट किराए या पट्टे या भाटक पर देने से हुई आय
12. 11 का 8 से अनुपात
13. धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट लाभांश के द्वारा हुई आय, जहां विशेष प्रयोजक एकक ने धारा 115खक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है
14. 13 का 8 से अनुपात
15. धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट लाभांश के द्वारा हुई आय, जहां विशेष प्रयोजक एकक ने धारा 115खक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है
16. 15 का 8 से अनुपात
17. 9, 11, 13 और 15 में निर्दिष्ट आय से भिन्न आय
18. 17 का 8 से अनुपात

19. धारा 115पक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट, ऐसे व्यक्तियों, जो यूनिटधारक हैं और जिन्हें आय का वितरण किया गया है, के निम्नलिखित प्ररूप में ब्यौरे :--

क्र.सं.	नाम	पता (पते)	स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक	वितरित कुल रकम	धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज की प्रकृति वाली आय की रकम [स्तंभ 5 x क्र.सं.10]	धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट किराए या पट्टे या भाटक पर देने की प्रकृति की आय की रकम [स्तंभ 5 x क्र.सं.12]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट लाभांश की प्रकृति की आय की रकम, जहां विशेष प्रयोजक एकक ने धारा 115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है [स्तंभ 5 x क्र.सं.14]				धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट लाभांश की प्रकृति की आय की रकम, जहां विशेष प्रयोजक एकक ने धारा 115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है [स्तंभ 5 x क्र.सं.16]		अन्य आय की रकम [स्तंभ 5 x क्र.सं. 18]
(8)				(9)		(10)

20. कारबार न्यास द्वारा यूनिटधारकों को, पूर्ववर्ष के दौरान या किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष(वर्षों) के दौरान यूनिटों के संबंध में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट वितरित रकम के निम्नलिखित प्ररूप में ब्यौरे :--

क्रम सं.	पूर्ववर्ष	यूनिटों की संख्या	ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान ऐसी यूनिटों के संबंध में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में यथा निर्दिष्ट वितरित सकल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)

21. धारा 115पक में निर्दिष्ट, ऐसे व्यक्तियों, जो यूनिटधारक हैं और जिन्हें क्रम सं. 20 में निर्दिष्ट रकम वितरित की गई है, के निम्नलिखित प्ररूप में ब्यौरे :--

क्र. सं.	नाम	पता (पते)	स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक	यूनिटों की संख्या	पूर्ववर्ष के दौरान यूनिटधारक को एक यूनिट के संबंध में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में यथानिर्दिष्ट वितरित रकम	पूर्ववर्ष के दौरान यूनिटधारक को सभी यूनिटों के संबंध में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में यथानिर्दिष्ट सकल वितरित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें ।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की एक प्रति संलग्न करें ।

आय और आय के वितरण के विनियोग की प्रमाणित प्रतियों के साथ संपरीक्षित लेखाओं को, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हों, भी हैं, संलग्न करें ।

मैं (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में, जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज, तारीख को सत्यापित किया गया ।

स्थान
.....

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंने/हमने* (कारबार न्यास का नाम) द्वारा को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष में उपार्जित आय और यूनिटधारकों को वितरित आय की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है ।

2. मैं यह घोषणा करता हूँ/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियाँ मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

स्थान

तारीख

.....
(लेखापाल का नाम और हस्ताक्षर)

टिप्पण:

1. "लेखापाल" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है।

2. *जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं0 64ख

[नियम 12गक (1)(ii) देखिए]

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पक के अधीन किसी कारबार न्यास द्वारा यूनिटधारक को दी जाने वाली आय का विवरण

1. यूनिटधारक का नाम
2. यूनिटधारक का पता
3. यूनिटधारक का स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक
4. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष
5. कारबार न्यास का नाम और पता
6. कारबार न्यास का स्थायी लेखा संख्यांक
7. पूर्ववर्ष के दौरान, कारबार न्यास द्वारा यूनिटधारक को वितरित आय के, निम्नलिखित प्ररूप में ब्यौरे :-

क्र.सं.	वितरित रकम	वितरण की तारीख	धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज की प्रकृति वाली आय की रकम	धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट किराए या पट्टे या भाटक पर देने की प्रकृति की आय की रकम	धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट लाभांश की प्रकृति की आय की रकम, जहां विशेष प्रयोजक एकक ने धारा 115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है	धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट लाभांश की प्रकृति की आय की रकम, जहां विशेष प्रयोजक एकक ने धारा 115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है	अन्य आय की रकम
1	2	3	4	5	6	7	8

8. कारबार न्यास द्वारा यूनिटधारकों को, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में वितरित रकम के, निम्नलिखित प्ररूप में ब्यौरे :--

क्र.सं.	यूनिटों की संख्या	पूर्ववर्ष के दौरान यूनिटधारक को एक यूनिट के संबंध में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में यथानिर्दिष्ट वितरित रकम	पूर्ववर्ष के दौरान यूनिटधारक को सभी यूनिटों के संबंध में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में यथानिर्दिष्ट सकल वितरित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)

मैं.....(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो..... का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण.....(पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया ।

स्थान

.....

हस्ताक्षर

प्ररूप सं0 64ग

[नियम 12गख के उपनियम (1) का खंड (i) देखिए]

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन यूनिटधारक को उपलब्ध कराया जाने वाली किसी विनिधान निधि द्वारा वितरित आय का विवरण

- (क) यूनिटधारक का नाम :
- (ख) यूनिटधारक का पता :
- (ग) यूनिटधारक का स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक :
- (घ) समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष :
- (ङ) विनिधान निधि का नाम और पता :
- (च) विनिधान निधि का स्थायी लेखा संख्यांक :

(छ) पूर्ववर्ष के दौरान, विनिधान निधि द्वारा यूनिटधारक को संदत्त या जमा की गई [धारा 115 पख की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन हुई हानि की अनदेखी करने के पश्चात्] आय या हानि के ब्यौरे:

(रुपए में)

क्र. सं.	संदत्त या जमा की गई रकम	संदाय या जमा करने की तारीख	आय के निम्नलिखित शीर्षों के अधीन संदत्त/जमा की गई रकम का ब्रेकअप						
			'कारबार या वृत्ति'	'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अन्य स्रोत'	
				कोड	आय या हानि	कोड	आय या हानि	'लाभ'	अन्य (यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(1)	(2)	(3)	आय	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ज) धारा 115 पख की उपधारा (2क) के निबंधानुसार 31 मार्च, 2019 को हुई समझी गई हानि (31 मार्च, 2019 को यूनिट धारण करने वाले यूनिटधारक को दिया जाने वाला) के ब्यौरे:

(रुपए में)

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	आय के निम्नलिखित शीर्षों के अधीन समझी गई हानि का ब्रेकअप	
		'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'	'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'
(1)	(2)	(3)	(4)

मैं (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में, जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज, तारीख को सत्यापित किया गया।

स्थान

.....

हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. (छ) पर सारणी में स्तंभ (5) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें । विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं ।

क्र. सं.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 112क के अधीन 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2	धारा 112क के अधीन 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3	धारा 112क से भिन्न 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	3
4	धारा 112क से भिन्न 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	4
5	20% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	5

2. (छ) पर सारणी में स्तंभ (7) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें । विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं ।

क्र. सं.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 111क के अधीन 20% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	6
2	धारा 111क के अधीन 15% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	7
3	30% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	8
4	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	9

प्ररूप सं0 64घ

[नियम 12गख के उपनियम (1) का खंड (ii) देखिए]

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन दिया जाने वाला किसी विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण

1. विनिधान निधि का नाम :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :
3. विधिक प्रास्थिति, कंपनी या न्यास या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय :
4. स्थायी लेखा संख्यांक :
5. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष :
6. विनिधान निधि के निदेशकों या न्यासियों या भागीदारों के नाम और पते*:

क्र. सं.	नाम	पता	स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)

7. (i) यदि भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अधीन प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022, के पास अनुकल्पी विनिधान के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : हां/नहीं*

(ii) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे दें :

(क) यदि प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं : हां/नहीं
 (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या :
 (ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

8. (क) पूर्ववर्ष के दौरान विनिधान निधि की कुल आय :

(ख) [निम्नलिखित सारणी के प्रत्येक शीर्ष के स्तंभ (7) के अधीन कुल रकम] कुल आय का ब्रेकअप:

क्र.सं.	शीर्ष के अधीन	आय या हानि			धारा 115पख की उपधारा (2) के अनुसार मुजरा की जाने वाली हानि	धारा 115पख की उपधारा (2) के निबंधनों में मुजरा हानियों के पश्चात् शुद्ध आय या हानि [(5) में से (6) घटाकर]
		रकम	अनिवासी यूनिटधारक के विनिधान में से अपतट विनिधान से	शुद्ध [(3) में से (4) घटाकर]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ					
2.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
3.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
4.	अन्य स्रोतों से आय (लाभांश/अन्य)(कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें, यदि विशेष दर पर कर लगाया गया हो)					

9. (i) पूर्ववर्ष की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, धारा 115पख की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित के अनुसार अनदेखी किया जाना अपेक्षित है,-

(क) धारा 115पख की उपधारा (2) का खंड (i) का उपखंड (ख) :

क्र.सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)
	कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ	

(ख) धारा 115पख की उपधारा (2) का खंड (ii) :

क्र.सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)

(ii) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों:

क्र.सं.	अग्रणीत लाई गई हानि के ब्यौरे, यदि कोई हो		पूर्ववर्ष के दौरान [धारा 115पख(2) के अनुसार] मुजरा करने के पश्चात् आय या हानि की रकम	अग्रणीत की जाने वाली हानि की रकम [(3) में से (4) घटाकर]	
	निर्धारण वर्ष	रकम		निर्धारण वर्ष	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(iii) विभिन्न शीर्षों के अधीन उपरोक्त (ii) पर हुई हानियों का मुजरा करने के पश्चात् विनिधान निधि की कुल धनात्मक आय (मुजरा करने के पश्चात् पैरा 8(ख) के अधीन सारणी के स्तंभ (7) में धनात्मक रकमों का सकल) :

(क) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	रकम	अनुपात (स्तंभ (2) / उपरोक्त 9(iii) पर रकम
(1)	(2)	(3)

(ख) “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	प्रवर्ग	कोड	रकम	अनुपात [स्तंभ 4/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ			
2	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ			

(ग) “अन्य स्रोत” शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	प्रवर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश		
2.	अन्य (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें, यदि विशेष दर पर कर लगाया गया हो)		

10. 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी अन्य हानि, यदि कोई हो, के ब्यौरे :

निर्धारण वर्ष	आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन हानि की रकम		कुल
	दीर्घकालिक पूँजी हानि	अल्पकालिक पूँजी हानि	
(1)	(2)	(3)	(4)
2016- 2017			
2017- 2018			
2018- 2019			
2019- 2020			
कुल			

11. उपरोक्त 9(i)(ख) में हानि की अनदेखी करने के पश्चात् विभिन्न शीर्षों के अधीन कुल हानि [8(ख) के अधीन सारणी के स्तंभ (7) में नकारात्मक रकमों का योग]:

(i) “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानि :

क्र. सं.	प्रवर्ग	कोड	रकम	अनुपात [स्तंभ 4/उपरोक्त 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
2	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			

(ii) “अन्य स्रोत” शीर्ष के अधीन हानि :

क्र. सं.	प्रवर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त क्र. सं. 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अन्य स्रोत (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें, यदि विशेष दर पर कर लगाया गया हो)		

12. धारा 115पख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट, ऐसे व्यक्ति, जो यूनिटधारक है और जिसके द्वारा आय या हानि प्राप्त की गई है या जिसके नाम उसे जमा किया गया है, ऐसी दशा में, जहां—

(i) कोई धनात्मक आय है :

क्र. सं.	यूनिटधारक का नाम	पता	पैन/आधार सं०	संदत या जमा की गई या जमा की गई समझी गई कुल धनात्मक आय	कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय [स्तंभ 5 x क्र. सं. 9(iii)(क) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय			“अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय		“अन्य स्रोत” शीर्ष के अधीन आय

कोड [क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]	रकम [स्तंभ 5 x क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 5(1)]	कोड [क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 3(2)]	रकम [स्तंभ 5 x क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 5(2)]	“लाभांश” [स्तंभ 5] x [क्र. सं. 9(iii)(ग) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]	अन्य [स्तंभ 5 x क्र. सं. 9(iii)(ग) पर सारणी का स्तंभ 4(2)] (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें, यदि विशेष दर पर कर लगाया गया हो)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(ii) धारा 115पख की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार 12 मास से अधिक के लिए धारित यूनिटों के संबंध में हानि है :

क्र. सं.	यूनिटधारक का नाम	पता	पैन/आधार सं०	संदत या जमा की गई या जमा की गई समझी गई हानि की कुल रकम	“दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानि	
					कोड [क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]	रकम [स्तंभ 5 x क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 5(1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानि				“अन्य स्रोत” शीर्ष के अधीन हानि		
कोड [क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 3(2)]		रकम [स्तंभ 5 x क्र. सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 5(2)]		[स्तंभ 5 x क्र. सं. 11(ii) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]		
(8)		(9)		(10)		

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें ।

आय और आय के संदाय या आय के जमा के विनियोग [धारा 115पख की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ संपरीक्षित लेखे, जिनके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो, संलग्न करें ।

मैं (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में, जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज, तारीख को सत्यापित किया गया ।

स्थान

.....

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंने/हमने , को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए (अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम) द्वारा यूनिटधारकों को जमा या संदत्त आय और उपार्जित आय [जिसमें धारा 115पख की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सम्मिलित है] की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है।

2. मैं यह घोषणा करता हूं/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं ।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर)

.....

(लेखापाल का नाम और

टिप्पण :

1. "लेखापाल" का वही अर्थ है, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में उसका है ।

2. सभी रकमें भारतीय रूपए में वर्णित की जाए ।

3. क्रम सं. 9(iii)(ख) की सारणी के स्तंभ (3) में क्रम सं0 1 या क्रम सं. 11(i) की सारणी के स्तंभ (3) में क्रम सं0 1 या क्रम सं. 12(i) की सारणी में स्तंभ (7) या क्रम सं. 12(ii) की सारणी में स्तंभ (6) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें । विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं ।

क्र. सं.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 112क के अधीन 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2	धारा 112क के अधीन 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3	धारा 112क से भिन्न 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	3
4	धारा 112क से भिन्न 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	4
5	20% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	5

4. क्रम सं. 9(iii)(ख) की सारणी के स्तंभ (3) में क्रम सं0 2 या क्रम सं. 11(i) की सारणी के स्तंभ (3) में क्रम सं0 2 या क्रम सं. 12(i) की सारणी में स्तंभ (9) या क्रम सं. 12(ii) की सारणी में स्तंभ (8) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें। विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं।

क्र. सं.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 111क के अधीन 20% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	6
2	धारा 111क के अधीन 15% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	7
3	30% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	8
4	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	9

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप सं0 64ड

[नियम 12गग(1)(i) देखिए]

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115नगक के अधीन दिया जाने वाला किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा संदत्त कराई गई या प्रत्यय कराई गई आय का विवरण

1. प्रतिभूतिकरण न्यास का नाम :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :
3. विधिक प्रास्थिति :
4. स्थायी लेखा संख्यांक :
5. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष:
6. प्रतिभूतिकरण न्यास के न्यासियों या निदेशकों या भागीदारों के नाम और पते :

क्र. सं.	नाम	स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्यांक	पता
(1)	(2)	(3)	(4)

7. (i) प्रतिभूतिकरण न्यास की प्रास्थिति :

(कृपया धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) के प्रवृत्त होने वाले उपखंड को वर्णित करें)

(ii) रजिस्ट्रीकरण संख्या :

(कृपया अधिनियम या विनियम का उल्लेख करें, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है)

(iii) रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

8. प्रतिभूतिकरण न्यास की आय का ब्यौरा :

(i) प्रतिभूतिकरण न्यास की कुल आय (रुपए में) :

(ii) 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन आय :

क्र.सं.	रकम	अनुपात [स्तंभ (2) / उपरोक्त 8(i) पर रकम]
(1)	(2)	(3)

(iii) 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय :

क्र.सं.	रकम	अनुपात [स्तंभ (2) / उपरोक्त 8(i) पर रकम]
(1)	(2)	(3)

(iv) 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	प्रवर्ग	कोड	रकम	अनुपात [स्तंभ 4/उपरोक्त 8(i) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
2	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			

(v) 'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	प्रवर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त 8(i) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश		
2.	अन्य		

9. धारा 115नगक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट, ऐसे व्यक्ति, जो कोई विनिधानकर्ता है और जिसके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिसके नाम उसे जमा किया गया है :--

क्र. सं.	विनिधानकर्ता का नाम	पता	स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या	संदत या जमा की गई या जमा की गई समझी गई कुल रकम	'कारबार या वृत्ति' शीर्ष के अधीन आय [स्तंभ 5 x क्र. सं. 8(ii) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]	गृह संपत्ति से आय [स्तंभ 5 x क्र. सं. 8(iii) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय		'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय		'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय		
कोड [क्र. सं. 8(iv) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]	रकम [स्तंभ 5 x क्र. सं. 8(iv) पर सारणी का स्तंभ 5(1)]	कोड [क्र. सं. 8(iv) पर सारणी का स्तंभ 3(2)]	रकम [स्तंभ 5 x क्र. सं. 8(iv) पर सारणी का स्तंभ 5(2)]	लाभांश [स्तंभ 5] x [क्र. सं. 8(v) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]	अन्य [स्तंभ 5 x क्र. सं. 8(v) पर सारणी का स्तंभ 4(2)]	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

कृपया प्रवृत्त अधिनियम या विनियम के अधीन, अर्थात् प्रतिभूतिकरण न्यास की दशा में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के अधीन; विशेष प्रयोज्य माध्यम की दशा में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए

गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनियमित; और प्रतिभूतिकरण कंपनी या किसी पुनर्गठन कंपनी की दशा में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें ।

आय और आय के संदाय या आय के जमा के विनियोग [धारा 115नगक की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ संपरीक्षित लेखे, जिनके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो, संलग्न करें ।

मैं (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो का पुत्र/पुत्री* हूं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में, जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज, तारीख को सत्यापित किया गया ।

स्थान

.....

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंने/हमने* , को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए (अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम) द्वारा यूनिटधारकों को जमा या संदत्त आय और उपार्जित आय [जिसमें धारा 115नगक की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सम्मिलित हैं] की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है ।

2. मैं यह घोषणा करता हूं/हम यह घोषणा करते हैं* कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं ।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर)

.....

(लेखापाल का नाम और

सदस्य संख्यांक

टिप्पण :

1. "लेखापाल" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है ।
2. सभी रकमें भारतीय रूपए में वर्णित की जाए ।
3. क्रम सं. 8(iv) की सारणी के स्तंभ (3) में क्रम सं0 1 या क्रम सं. 9 की सारणी के स्तंभ (8) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें । विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं।

क्र. सं.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 112क के अधीन 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2	धारा 112क के अधीन 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3	धारा 112क से भिन्न 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	3
4	धारा 112क से भिन्न 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	4
5	20% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	5

4. क्रम सं. 8(iv) की सारणी के स्तंभ (3) में क्रम सं0 2 या क्रम सं. 9 की सारणी के स्तंभ (10) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें । विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं।

क्र. सं.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 111क के अधीन 20% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	6
2	धारा 111क के अधीन 15% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	7
3	30% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	8
4	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	9

* जो लागू न हो, उसे काट दें ।

प्ररूप सं0 64च

[नियम 12गग(1)(ii) देखिए]

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115नगक के अधीन दिया जाने वाला किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा विनिधानकर्ता को वितरित आय का विवरण

1. विनिधानकर्ता का नाम :
2. विनिधानकर्ता का पता :
3. विनिधानकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक :
4. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष:
5. प्रतिभूतिकरण न्यास का नाम और पता :
6. प्रतिभूतिकरण न्यास का स्थायी लेखा संख्यांक :
7. पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा विनिधानकर्ता को संदत्त या जमा आय का विवरण:

(रूप में)

क्र. सं.	संदत्त या जमा की गई या जमा की गई समझी गई कुल रकम	संदाय या जमा या जमा की गई समझी जाने की तारीख	निम्नलिखित आय के शीर्षों के अधीन संदत्त या जमा रकम का ब्रेकअप							
			'गृह संपत्ति से आय'	'कारबार या वृत्ति'	'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अन्य स्रोत'	
					कोड	रकम	कोड	रकम	लाभांश	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

मैं (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो का पुत्र/पुत्री* हूं, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में, जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं।

आज, तारीख को सत्यापित किया गया।

स्थान

.....

हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. 8 की सारणी के स्तंभ (6) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें । विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं ।

क्र. सं.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 112क के अधीन 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2	धारा 112क के अधीन 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3	धारा 112क से भिन्न 12.5% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	3
4	धारा 112क से भिन्न 10% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	4
5	20% दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	5

4. 8 की सारणी के स्तंभ (8) के लिए निम्नलिखित कोड में से किसी कोड का चयन करें । विभिन्न कोड के लिए कई पंक्तियां हो सकती हैं ।

क्र. सं.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	कोड
1	धारा 111क के अधीन 20% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	6
2	धारा 111क के अधीन 15% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	7
3	30% दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	8
4	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	9

* जो लागू न हो, उसे काट दें ।

[फा. सं. 370142/28/2024-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण--मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं० का०आ० 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं० सा०का०नि० 125(अ), तारीख 7 फरवरी, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2025

No. 17/2025

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 115AD, sub-section (4) of section 115TCA, sub-section (4) of section 115UA and sub-section (7) of section 115UB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) for rule 12CA, the following shall be substituted, namely:—

“12CA. Statement under sub-section (4) of section 115UA.—(1) The statement of income distributed by a business trust to its unit holder shall be furnished by the person responsible for making payment of the income distributed on behalf of a business trust to —

- (i) the Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, within whose jurisdiction the principal office of the business trust is situated by the 15th day of June of the financial year following the previous year during which the income is distributed electronically under digital signature, in Form No. 64A duly verified by an accountant in the manner indicated therein; and
- (ii) the unit holder by the 30th day of June of the financial year following the previous year during which the income is distributed in Form No. 64B after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him and duly verified by the

person paying the income distributed on behalf of the business trust in the manner indicated therein.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), as the case may be, shall specify,-

- (i) the procedure for filing of Form No. 64A and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements of income paid so furnished under this rule; and
- (ii) the procedure, formats and standards for generation and download of statement in Form No. 64B from the web portal specified by him or by the person authorised by him and he shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates from the web portal specified by him or the person authorised by him.”;

(b) for rule 12CC, the following shall be substituted, namely:-

“12CC. Statement under sub-section (4) of section 115TCA.—(1) The statement of income paid or credited by a securitisation trust to its investor shall be furnished by the person responsible for crediting or making payment of the income on behalf of a securitisation trust and the securitisation trust to –

- (i) the Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, within whose jurisdiction the principal office of the securitisation trust is situated by the 15th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited electronically under digital signature, in Form No. 64E duly verified by an accountant in the manner indicated therein; and
- (ii) the investor by the 30th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited in Form No. 64F after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him and duly verified by the person paying or crediting the income on behalf of the securitisation trust in the manner indicated therein.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), as the case may be, shall specify,—

- (i) the procedure for filing of Form No. 64E and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements of income paid or credited so furnished under this rule; and
- (ii) the procedure, formats and standards for generation and download of statement in Form No. 64F from the web portal specified by him or by the person authorised by him and he shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates from the web portal specified by him or the person authorised by him.”;

(c) in Appendix-II,—

I. in Form No. 10IH,—

- (i) in S.No. 8, the figures “@10%” shall be omitted;
- (ii) in S.No. 9, the words and figures “and which is chargeable @10%” shall be omitted;
- (iii) in S.No. 10, the figures “@15%” shall be omitted;
- (iv) in Annexure 1,—
 - (A) in Part A1, the figures “@10%” shall be omitted;
 - (B) in Part A2, the words and figures “and which is chargeable @10%” shall be omitted;
 - (C) in Part A3, the figures “@15%” shall be omitted;

II. for Form No. 64A, Form No. 64B, Form No. 64C, Form No. 64D, Form No. 64E and Form No. 64F, the following shall be substituted, namely:-

“FORM NO. 64A

[See rule 12CA(1)(i)]

[e-Form]

Statement of income distributed by a business trust to be furnished under section 115UA of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the business trust
2. Address of the registered office
3. Permanent Account Number
4. Previous year ending
5. Name and address of the trustees of the business trust
6. Date of registration of the business trust with the Securities and Exchange Board of India
 - (i) under the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014

20. Amount distributed by the business trust to unit holders with respect to units as referred to in clause (xii) of sub-section (2) of section 56 during the previous year or during any earlier previous year(s), in the following format:—

S.No.	Previous year	No. of units	Aggregate amount as referred to in clause (xii) of sub-section (2) of section 56 distributed with respect to such units during such previous year
(1)	(2)	(3)	(4)

21. Details of persons being unit holders, referred to in section 115UA to whom the amount referred to in Sl. No. 20 is distributed, in the following format:—

S. No.	Name (s)	Address(es)	Permanent Account Number or Aadhaar Number	Number of units	Amount as referred to in clause (xii) of sub-section (2) of section 56 distributed with respect to one unit of unit holder during the previous year	Aggregate amount as referred to in clause (xii) of sub-section (2) of section 56 distributed with respect to all units of unit holder during the previous year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Enclose a copy of the certificate of registration under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

Enclose a copy of the trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908).

Enclose audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards distribution of income.

I, (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the day of

Place

.....
Signature

Verification

I/We* have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed to the unit holders by the (name of the Business trust) for the previous year ending

2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place

Date (Signature with name of the Accountant)

Notes:

1. "Accountant" means the accountant as defined in the Explanation to sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.
2. *Strike out whichever is not applicable.

FORM NO. 64B

[See rule 12CA(1)(ii)]

[e-Form]

Statement of income distributed by a business trust to be provided to the unit holder under section 115UA of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the unit holder
2. Address of the unit holder
3. Permanent Account Number or Aadhaar Number of the unit holder
4. Previous year ending
5. Name and address of the business trust
6. Permanent Account Number of the business trust
7. Details of the income distributed by the business trust to the unit holder, during the previous year, in the following format:—

S. No.	Amount distributed	Date of distribution	Amount of income in the nature of interest referred to in clause (23FC) of section 10	Amount of income in the nature of renting or leasing or letting referred to in clause (23FCA) of section 10	Amount of income in the nature of dividend referred to in clause (23FC) of section 10 in a case where the special purpose vehicle has exercised option under section 115BAA	Amount of income in the nature of dividend referred to in clause (23FC) of section 10 in a case where the special purpose vehicle has not exercised option under section 115BAA
1	2	3	4	5	6	7

Amount of other income
8

8. Details of the amount referred to in clause (xii) of sub-section (2) of section 56 distributed by the business trust to the unit holder, in the following format:-

S. No.	No. of units	Amount as referred to in clause (xii) of sub-section (2) of section 56 distributed with respect to one unit of unit holder during the previous year	Aggregate amount as referred to in clause (xii) of sub-section (2) of section 56 distributed with respect to all units of unit holder during the previous year
(1)	(2)	(3)	(4)

I, (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the day of

Place

.....
Signature

FORM NO. 64C

[See clause (i) of sub-rule (1) of rule 12CB]

[e-Form]

Statement of income distributed by an investment fund to be provided to the unit holder under section 115UB of the Income-tax Act, 1961

- Name of the unit holder:
- Address of the unit holder:
- Permanent Account Number or AADHAAR of the unit holder:
- Previous year ending:
- Name and address of the Investment Fund:
- Permanent Account Number of the Investment Fund:
- Details of the income or loss [after ignoring the loss under clause (ii) of sub-section (2) of section 115UB] paid or credited by the Investment Fund to the unit holder during the previous year:

(In Rs.)

S.No.	Amount paid or credited	Date of payment or credit	Breakup of Amount paid/credited under Heads of Income						
			'Business or profession'	'Long Term Capital Gain'		'Short Term Capital Gain'		'Other Sources'	
				Code	Income or Loss	Code	Income or Loss	'Dividend'	Others (please specify if taxed at special rate)
			Income					Income	Income or Loss
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(h) Details of deemed loss as on the 31st March, 2019 in terms of sub-section (2A) of section 115UB (to be passed to the unit holder holding unit on 31st March, 2019):

(In Rs.)

S.No.	Assessment Year	Breakup of deemed loss under Heads of Income	
		'Long Term Capital Gain'	'Short Term Capital Gain'
(1)	(2)	(3)	(4)

I, _____ (Name in full and in block letters) son/ daughter/ wife of _____ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as _____ (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the _____ day of _____

Place _____

Signature _____

Notes:

1. Select one of the following codes for column (5) in Table at 7. Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Long term capital gain	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 112A	1
2.	Long term capital gain chargeable at 10% under section 112A	2
3.	Long term capital gain chargeable at 12.5% other than section 112A	3
4.	Long term capital gain chargeable at 10% other than section 112A	4
5.	Long term capital gain chargeable at 20%	5

2. Select one of the following codes for column (7) in Table at 7. Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Short term capital gain	Code
1.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 111A	6
2.	Short term capital gain chargeable at 15% under section 111A	7
3.	Short term capital gain chargeable at 30%	8
4.	Short term capital gain chargeable at applicable rate	9

FORM NO. 64D

[See clause (ii) of sub-rule (1) of rule 12CB]

[e-Form]

Statement of income paid or credited by investment fund to be furnished under section 115UB of the Income- tax Act, 1961

1. Name of the Investment Fund:
2. Address of the registered office:
3. Legal status company or trust or limited liability partnership or body corporate:
4. Permanent Account Number:
5. Previous year ending:
6. Name and address of the Directors or Trustees or Partners of the Investment fund*:

S. No	Name	Address	PAN or AADHAAR
(1)	(2)	(3)	(4)

7. (i) Whether registered as Alternative Investment Fund with Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 or the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022: Yes/No*

(ii) If yes, furnish following details:

- (a) Whether registered as Category I or II : Yes/No
 (b) Registration number :
 (c) Date of registration :

8. (a) Total income of Investment Fund during the previous year

(b) Break-up of total income [aggregate of amounts under column (7) of the following table for each head]:

S. No.	Under the head	Income or Loss			Loss to be set off in accordance with sub-section (2) of section 115UB	Net Income or loss after set-off of losses in terms of sub-section (2) of section 115UB [(5) minus (6)]
		Amount	from Off-shore investment out of the investment of non-resident unit holder	Net [(3) minus (4)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Profit and gains of business or profession					
2.	Long Term Capital Gains					
3.	Short Term Capital Gains					
4.	Income from other sources (Dividend/ Others) (Please specify section if taxed at special rate)					

9. (i) Details of losses of the previous year, if any; required to be ignored for the purposes of sub-section (1) of section 115UB in accordance with,-

(a) sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Head of Income	Amount of loss
(1)	(2)	(3)
	Profit and gains of business or profession	

(b) clause (ii) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Head of Income	Amount of loss
(1)	(2)	(3)

(ii) Details of losses under the head “Profit and gains of business or profession”, if any:

S. No.	Details of brought forward loss, if any,		Amount of income or loss during the previous year after set-off [in accordance with section 115UB(2)]	Amount of loss to be carried forward [(3) minus (4)]	
	Assessment Year	Amount		Assessment Year	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(iii) Aggregate of positive income of the Investment Fund under various heads after setting off of losses at (ii) above [aggregate of the positive amounts in column (7) of the table under para 8(b) after set off] :.....

(a) Income under head "Profit and gains of business or profession":

S. No.	Amount	Proportion [Column 2/ Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)

(b) Income under head "Capital Gain":

S. No.	Category	Code	Amount	Proportion [Column 4/ Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Long Term Capital Gain			
2.	Short Term Capital Gain			

(c) Income under the head "Other Sources":

S. No	Category	Amount	Proportion [Column 3/Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dividends		
2.	Others (Please specify section if taxed at special rate)		

10. Details of loss other than the loss under the head "Profits and gains of business or profession", if any, accumulated at the level of investment fund as on the 31st March, 2019:

Assessment Year	Amount of Loss under various Heads of Income		Total
	Long Term Capital Loss	Short Term Capital Loss	
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-2017			
2017-2018			
2018-2019			
2019-2020			
Total			

11. Aggregate of loss under various heads after ignoring the loss in 9(i)(b) above [aggregate of the negative amounts in column (7) of the table under 8(b)]:

(i) Loss under head "Capital Gain":

S. No.	Category	Code	Amount	Proportion [Column 4/ Amount at s no. 11 above]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Long Term Capital Gain			
2.	Short Term Capital Gain			

(ii) Loss under the head "Other Sources":

S. No	Category	Amount	Proportion [Column 3/ Amount at s no. 11]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Other sources (Please specify section if taxed at special rate)		

12. Details of person being a unit holder, referred to in sub-section (1) of section 115UB by whom the income or loss is received or in whose name it has been credited in a case where,-

(i) there is positive income:

S.No.	Name of the Unit Holder	Address	PAN or AADHAAR	Total amount of positive income paid or credited or deemed to be credited	Income under the head business or Profession [Column 5 x Column 3(1) of Table at S.No.9(iii)(a)]	Income under the head "Long term capital gains"	
						Code [Column 3(1) of Table at S.No. 9(iii)(b)]	Amount [Column 5 x Column 5(1) of Table at S.No. 9(iii)(b)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Income under the head "Short Term Capital Gains"					Income under the head "Other Sources"		
Code [Column 3(2) of Table at S.No. 9(iii)(b)]			Amount [Column 5 x Column 5(2) of Table at S.No. 9(iii)(b)]		"Dividend" [Column 5] x Column 4(1) of Table at s. no. 9(iii)(c)]		Others [Column 5 x Column 4(2) of Table at S.No. 9(iii)(c)] (Please specify section, if taxed at special rate)
(9)			(10)		(11)		(12)

- (ii) there is loss in respect of units held for more than 12 months as per clause (b) of sub-section (2) of section 115UB :

S.No.	Name of the Unit Holder	Address	PAN or AADHAAR	Total amount of loss paid or credited or deemed to be credited	Loss under the head “Long term capital gains”	
					Code [Column 3(1) of Table at S.No. 11(i)]	Amount [Column 5 x Column 5(1) of Table at S.No. 11(i)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Loss under the head “Short Term Capital Gains”				Loss under the head “Other Sources” [Column 5 x Column 4(1) of Table at S.No. 11(ii)]		
Code [Column 3(2) of Table at S.No. 11(i)]		Amount [Column 5 x Column 5(2) of Table at S.No. 11(i)]				
(8)		(9)		(10)		

Attach a copy of the certificate of registration under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 or the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022.

Attach audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards payment of income or credit of income [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of sub-section (6) of section 115UB].

I, _____ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of _____ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as _____ (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the _____ day of _____.

Place _____

Signature _____

Verification

I/We _____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income paid or credited [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of sub-section (6) of section 115UB] to the unit holder by the _____ (name of the Alternative Investment Fund) for the previous year ending _____.

2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place_____

Date_____

(Signature with name of the accountant)

Notes:

1. “Accountant” shall have the same meaning as assigned to it in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.
2. All amount to be mentioned in Indian rupees.
3. Select one of the following codes for S.No. 1 in column (3) in Table at S.No. 9(iii)(b) or S.No. 1 in column (3) in Table at S. No. 11(i) or column (7) in Table at 12(i) or column (6) in Table at 12(ii). Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Long term capital gain	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 112A	1
2.	Long term capital gain chargeable at 10% under section 112A	2
3.	Long term capital gain chargeable at 12.5% other than section 112A	3
4.	Long term capital gain chargeable at 10% other than section 112A	4
5.	Long term capital gain chargeable at 20%	5

4. Select one of the following codes for S.No. 2 in column (3) in Table at S.No. 9(iii)(b) or S.No. 2 in column (3) in Table at S. No. 11(i) or column (9) in Table at 12(i) or column (8) in Table at 12(ii). Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Short term capital gain	Code
1.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 111A	6
2.	Short term capital gain chargeable at 15% under section 111A	7
3.	Short term capital gain chargeable at 30%	8
4.	Short term capital gain chargeable at applicable rate	9

* Strike out whichever is not applicable.

FORM NO. 64E

[See rule 12CC(1)(i)]

[e-Form]**Statement of income paid or credited by a securitisation trust to be furnished under section 115TCA of the Income-tax Act, 1961**

1. Name of the securitisation trust:
2. Address of the registered office:
3. Legal status:
4. Permanent Account Number:
5. Previous year ending:
6. Name and address of the Trustees or Directors or Partners of the securitisation trust:

Sl. No.	Name	Permanent Account Number or Aadhaar Number	Address
(1)	(2)	(3)	(4)

7. (i) Status of Securitisation Trust:

(please mention applicable sub-clause of the clause (d) of the *Explanation* below section 115TCA)

(ii) Registration number:

(Please also indicate Act or Regulation under which registered)

(iii) Date of registration:

8. Details of income of Securitisation Trust:

(i) Total income of securitisation trust (in Rs.):

(ii) Income under the head 'Income from house property':

Sl. No.	Amount	Proportion [Column 2/Amount at 8(i) above]
(1)	(2)	(3)
1.		

(iii) Income under the head 'Profits and gains of business or profession':

Sl. No.	Amount	Proportion [Column 2/Amount at 8(i) above]
(1)	(2)	(3)

(iv) Income under the head 'Capital gains':

Sl. No.	Category	Code	Amount	Proportion [Column 4/Amount at 8(i) above]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Long Term Capital Gain			
2	Short Term Capital Gain			

(v) Income under the head 'Income from other sources':

Sl. No.	Category	Amount	Proportion [Column 3/Amount at 8(i) above]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dividends		
2	Others		

9. Details of person being an Investor, referred to in sub-section (1) of section 115TCA by whom the income is received or in whose name it has been credited:

Sl. No.	Name of Investor	Address	Permanent Account Number or Aadhaar Number	Total amount paid or credited or Deemed to be credited	Income under the head 'Business or Profession' [Column 5x Column 3(1) of Table at Sl. No. 8(ii)]	Income from House Property [Column 5 x Column 3(1) of Table at Sl. No. 8(iii)]	Income under the head 'Long Term Capital Gains'	
							Code [Column 3(1) of Table at Sl. No. 8(iv)]	Income [Column 5 x Column 5(1) of Table at Sl. No. 8(iv)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Income under the head 'Short Term Capital Gains'				Income under the head 'Other Sources'				
Code [Column 3(2) of Table at Sl. No. 8(iv)]		Income [Column 5 x Column 5(2) of Table at Sl. No. 8(iv)]		Dividend [Column 5 x Column 4(1) of Table at Sl. No. 8(v)]	Others [Column 5 x Column 4(2) of Table at Sl. No. 8(v)]			
(10)		(11)		(12)	(13)			

Attach a copy of the certificate of registration under the applicable Act or Regulations, viz., in case of securitisation trust, under the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securities Debt Instruments) Regulations, 2008; in case of Special Purpose Vehicle regulated by the guidelines of Standard Assets issued by the Reserve Bank of India; and in case of Securitisation Company or a Reconstruction Company, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Attach audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards payment of income or credit of income [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of sub-section (3) of section 115TCA].

I,(Name in full and in block letters) son/daughter* ofdo hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), are correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as(designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the day of

Place

Signature

Verification

I/We*.....have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income paid or credited [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of sub-section (3) of section 115TCA] to the investor by the(name of the Securitisation Trust) for the previous year ending.....

2. I/We* declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

.....

Place

(Signature with name of the Accountant)
Membership No.

Date

Notes:

1. "Accountant" means the accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.
2. All amount to be mentioned in Indian Rupees.
3. Select one of the following codes for Sl.No. 1 in column (3) in Table at 8(iv) or column (8) in Table at 9. Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Long term capital gain	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 112A	1
2.	Long term capital gain chargeable at 10% under section 112A	2
3.	Long term capital gain chargeable at 12.5% other than section 112A	3
4.	Long term capital gain chargeable at 10% other than section 112A	4
5.	Long term capital gain chargeable at 20%	5

4. Select one of the following codes for Sl.No. 2 in column (3) in Table at 8(iv) or column (10) in Table at 9. Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Short term capital gain	Code
1.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 111A	6
2.	Short term capital gain chargeable at 15% under section 111A	7
3.	Short term capital gain chargeable at 30%	8
4.	Short term capital gain chargeable at applicable rate	9

*Strike out whichever is not applicable.

FORM NO. 64F
[See rule 12CC(1)(ii)]
[e-Form]

Statement of income distributed by a securitisation trust to be provided to the investor under section 115TCA of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the investor:
2. Address of the investor:
3. Permanent Account Number or Aadhaar Number of the investor:
4. Previous year ending:
5. Name and address of the securitisation trust:
6. Permanent Account Number of the securitisation trust:
7. Details of the income paid or credited by the securitisation trust to the investor during the previous year:

(In Rs.)

Sl. No.	Amount paid or credited or Deemed to be credited	Date of payment or credit or Deemed to be credited	Breakup of amount paid or credited under the Heads of Income							
			'Income from House Property'	'Business or Profession'	'Long Term Capital Gain'		'Short Term Capital Gain'		'Other Sources'	
					Code	Amount	Code	Amount	Dividend	Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

I, _____ (Name in full and in block letters) son/daughter* of _____ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as _____ (designation)

Verified today the _____ day of _____
Place _____

Signature

Notes:

1. Select one of the following codes for column (6) in Table at 8. Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Long term capital gain	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 112A	1
2.	Long term capital gain chargeable at 10% under section 112A	2
3.	Long term capital gain chargeable at 12.5% other than section 112A	3
4.	Long term capital gain chargeable at 10% other than section 112A	4
5.	Long term capital gain chargeable at 20%	5

2. Select one of the following codes for column (8) in Table at 8. Multiple rows with different codes can be there.

S.No.	Short term capital gain	Code
1	Short term capital gain chargeable at 20% under section 111A	6
2	Short term capital gain chargeable at 15% under section 111A	7
3	Short term capital gain chargeable at 30%	8
4	Short term capital gain chargeable at applicable rate	9

*Strike out whichever is not applicable.”.

[F. No. 370142/28/2024-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note. - Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 125(E), dated the 07th February, 2025.